

### **Disclaimer**

*“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”*

### **अस्वीकरण**

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कम्प्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

**Kshema Sukriti****UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526**

क्षेमा सुकृति

नीतिगत शब्दावलियाँ

खंड I: कार्यात्मक खंड

जहाँ आप, अनुसूची में नामित बीमित व्यक्ति ने इस क्षेमा सुकृति को चुना है और हमें बीमा कवर के लिए आवेदन किया है, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, जैसा कि पॉलिसी में कहा गया है। आपने हमें आगे दिया

प्रस्ताव, नीति शब्दांकन, नीति अनुसूची, घोषणाएं और उनके किसी भी समर्थन को एक दस्तावेज और कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति माना जाएगा, जिसके साथ इनमें से किसी में एक विशिष्ट अर्थ संलग्न किया गया है।

इस पॉलिसी के दौरान, "आप", "आपका", "स्वयं" शब्द पॉलिसी अनुसूची में दिखाए गए नामित बीमित व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। "हम", "हम", "हमारा" और "कंपनी" शब्द क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को संदर्भित करते हैं।

अब यह नीति गवाह है कि यह नीति यहां उल्लिखित विभिन्न धाराओं, नियमों, शर्तों और प्रक्रिया के तहत उल्लिखित सामग्री के अधीन है या यहां समर्थित या व्यक्त की गई है।

खंड II: शब्दों की परिभाषा

- पशु हमला: इस पॉलिसी के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध विशिष्ट जानवरों के कारण बीमित फसल को नुकसान या क्षति, खेत में प्रवेश करके और फसल को खाने या नुकसान पहुंचाने से।
- जोखिम की शुरुआत/पॉलिसी शुरू होने की तारीख: जोखिम की शुरुआत/पॉलिसी शुरू होने की तारीख इस पॉलिसी के तहत कवरेज शुरू होने की तारीख है और जैसा कि पॉलिसी में कवर की अवधि के खिलाफ उल्लेख किया गया है।
- फसल: इसका मतलब है कि इस नीति के तहत बहुभुज के एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर उगाया जाने वाला एक ही प्रकार का पौधा, जैसा कि नीति अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें बीज, प्रत्यारोपण या अन्य प्रसार विधियों का उपयोग किया जाता है, और कटाई की जाती है।
- डिजिटल प्रस्ताव प्रपत्र (डी. पी. एफ.): यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसे आप क्षेमा आवेदन में या ओ. टी. पी. पुष्टि के माध्यम से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हमारे आवेदन में भरेंगे।
- फसल की अवधि: बहुभुज में बुवाई की तारीख से कटाई की शुरुआत की तारीख तक की अवधि।
- समर्थन: समर्थन का अर्थ है आपकी नीति में कोई भी लिखित संशोधन या जोड़, जिसे आप लिखित रूप में या क्षेमा आवेदन के माध्यम से अनुरोध करते हैं।
- दावा अतिरिक्त: पॉलिसी अनुसूची में बताई गई राशि जो इस पॉलिसी के तहत किए गए प्रत्येक दावे के संबंध में आपके द्वारा वहन की जाएगी।
- कटाई: बीमित खेत में बीमित फसल से उपज काटने/एकत्र करने के लिए की गई किसी भी कार्रवाई का अर्थ है कटाई।
- हाइड्रोफिलिक फसलें: हाइड्रोफिलिक फसलें ऐसी कृषि फसलें हैं जो पानी से भरपूर होती हैं या आमतौर पर खड़ी या भारी सिंचित जल स्थितियों में उगाई जाती हैं। इनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, पी
- क्षतिपूर्ति प्रतिशत: यह वास्तविक हानि या बीमित राशि का प्रतिशत है, जो भी कम हो, जिसका भुगतान किसी भी बीमा दावे की स्थिति में किया जाएगा और जिसका उल्लेख पॉलिसी अनुसूची में किया गया है।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

- k) बीमित व्यक्ति का अर्थ है फसल की खेती करने वाला और पॉलिसी अनुसूची में नामित और हर समय बीमायोग्य ब्याज रखने वाला व्यक्ति।
- l) क्षेमा एप्लिकेशन: क्षेमा एप्लिकेशन एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो बीमा उत्पादों की खरीद, दावे जमा करने, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान किया गया आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- m) अक्षांश और देशांतर: अक्षांश और देशांतर एक समन्वय प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को परिभाषित करने के लिए दो संख्याओं का उपयोग करती है।
- n) भौतिक परिवर्तन-वे परिवर्तन जो जोखिम के लिए बीमाकर्ता के निर्णय को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, जिसमें बुवाई की तारीखों में परिवर्तन या बीमित फसल या बीमाकृत फसल में परिवर्तन शामिल है, लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है।
- o) बीमा की अवधि: वह समय अवधि जिसके लिए बीमा का अनुबंध वैध है जैसा कि पॉलिसी अनुसूची में दिखाया गया है, जब तक कि पॉलिसी रद्द नहीं की जाती है, जिस स्थिति में बीमा की अवधि समाप्त हो जाएगी।
- p) नीति: नीति का अर्थ है नीति के शब्द, प्रस्ताव प्रपत्र में विवरण/विवरण, नीति अनुसूची और कोई भी लागू समर्थन या विस्तार जो उससे जुड़ा हुआ है और उसका हिस्सा है।
- q) पॉलिसी समाप्त होने की तारीख: बहु-चुनने वाली फसलों के मामले में फसल की अंतिम कटाई शुरू होने की तारीख और एकल चुनने वाली फसलों के लिए कटाई शुरू होने की तारीख या समाप्ति की तारीख को पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
- r) पॉलिसी अनुसूची: वह दस्तावेज़ जिसमें बीमा अनुबंध से संबंधित सभी विवरण होते हैं और जो पॉलिसी के शब्दों, अनुमोदनों और किसी अन्य संलग्न अनुलग्नक का हिस्सा होते हैं।
- s) बहुभुज-हमारे क्षेमा आवेदन में दर्शाई गई कृषि भूमि की सीमाएँ या तो आपके द्वारा खींची गई हैं या आपके द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीरों के निर्देशांक के माध्यम से पहचानी गई हैं या सर्वेक्षण संख्या के माध्यम से पहचानी गई हैं।
- t) फसल कटाई के बाद नुकसान: बीमित फसल या उपज को जमीन या फसल से अलग करने के बाद नुकसान या क्षति।
- u) प्रीमियम: पॉलिसी अनुसूची में निर्दिष्ट बीमा कवरेज के लिए भुगतान की जाने वाली राशि।
- v) प्रस्ताव प्रपत्र: इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ जो स्वयं, खेत, फसल और जोखिम से संबंधित किसी भी अन्य सामग्री की जानकारी देता है और विधिवत दिनांकित/ई-दिनांकित है और एक बार का पासवर्ड (ओ. टी. पी.) मान्य है।
- w) हस्ताक्षर: ओ. टी. पी. पुष्टि के माध्यम से प्रस्ताव प्रपत्र पर आपके हस्ताक्षर।
- x) बीमित राशि: पॉलिसी अनुसूची में दिखाई गई राशि अधिकतम है जो हम किसी एक दावे के लिए या बीमा अवधि के दौरान सभी दावों के लिए भुगतान करेंगे। पशु हमले के कवरेज के लिए, भुगतान सीमित है।
- y) प्रतीक्षा अवधि: प्रतीक्षा अवधि वह अवधि है जो इस नीति के तहत बताई गई है, जिसके दौरान कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## धारा III (ए): पात्रता

2 हेक्टेयर तक की किरायेदारी के लिए प्राप्त अपनी भूमि या भूमि में फसलों का बीमा कराने वाला कोई भी किसान। यह सीमा प्रति किसान लागू होती है।

## धारा III (बी): कवरेज

इस नीति के तहत कवरेज मुख्य खेत में खेती की जा रही फसल के लिए है जैसा कि क्षेमा अनुप्रयोग में दर्शाए गए बहुभुज के माध्यम से पहचाना गया है या अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पहचाना गया है।

**Kshema Sukriti****UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526**

आपके द्वारा चयनित खतरों के कारण बीमित फसल को नुकसान या नुकसान-एक प्रमुख खतरों से और एक छोटे खतरों से-नीचे दी गई सूची से:

**प्रमुख खतरे**

- बाढ़
- जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
- चक्रवात नाम दिया गया
- तूफान

**छोटे खतरे**

- पशुओं का हमला
  - हाथी
  - जंगली सूअर
- सुनामी सहित भूकंप
- बिजली गिरने से लगी आग
- भूस्खलन

धारा IV: इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित नुकसान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

कंपनी निम्नलिखित के कारण हुए नुकसान और नुकसान को कवर नहीं करेगी।

- युद्ध का जोखिम: युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध की घोषणा की जाए या न की जाए), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, जब्ती, प्राकृतिक हानि के कारण नुकसान।
- नाभिकीय जोखिम: आयनीकरण विकिरण या किसी भी नाभिकीय ईंधन से रेडियोधर्मिता या नाभिकीय ईंधन के दहन से किसी भी नाभिकीय अपशिष्ट से होने वाले संदूषण से बीमित फसल को कोई नुकसान।
- परिणामी हानि: किसी भी प्रकार या विवरण की परिणामी हानि।
- दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम।
- आतंकवाद: आतंकवादी गतिविधियों के कारण फसल को कोई भी नुकसान।
- किसी भी प्रकार का प्रदूषण या संदूषण।
- किसी भी सरकार या किसी अन्य नागरिक प्राधिकरण के आदेश के कारण राजनीतिक जोखिम या हानि या क्षति;
- ज्वालामुखीय विस्फोट, तटीय या नदी का कटाव या प्रकृति के अन्य आवेग।
- चोरी, दंगा और हड़ताल।
- फसल उपज के लिए फसल कटाई के बाद का नुकसान, भले ही वह कटे हुए और बीमित खेत में फैला हुआ हो।
- इसके अलावा किसी अन्य जानवर द्वारा किए गए नुकसान/हानि का उल्लेख धारा 3, यानी कवरेज के तहत किया गया है।
- बाढ़ के खिलाफ हाइड्रोफिलिक फसलों का कवरेज।
- किसी भी अन्य खतरे से, जो पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
- स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि जैसी सहायक संरचनाओं की लागत।
- अंत: फसल और मिश्रित फसल की खेती।
- बीमित खेत और क्षतिग्रस्त खेत के बहुभुज/अक्षांश और देशांतर के बीच बेमेल।
- अतिरिक्त का दावा करें।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

- r) किसी भी नुकसान के संबंध में या उसके संबंध में आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च, चाहे वह किसी भी कारण से हो, भले ही इस तरह के नुकसान के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन/उपज में कमी हो या परिचालन क्षमता में वृद्धि हो।
- s) खेत से किसी भी क्षतिग्रस्त फसल, मलबा, या किसी भी पदार्थ को हटाने के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च, चाहे वह नुकसान कवर किए गए खतरों के कारण हुआ हो या अन्यथा, पी. ए. नहीं होगा।
- t) फसलों का नुकसान या क्षति जहां नुकसान या क्षति का स्थान प्रस्ताव के समय पहचाने गए बहुभुज के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है
- u) उपज का नुकसान।
- v) नर्सरी में फसलें उगाई जा रही हैं।
- w) प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान हुआ
- x) कोई भी धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे।

## खंड v: बीमा दावा और अपनी जिम्मेदारी कैसे दर्ज करें

इस नीति के तहत आने वाले किसी भी खतरे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति हुई है, आपको निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

- a) क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से customer.support@kshema.co या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या अपनी पॉलिसी विवरण के साथ हमारी वेबसाइट <https://kshema.co> के माध्यम से नुकसान की तुरंत सूचना दें।
- b) नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएँ, जैसे कि कोई बीमा नहीं लिया गया है।
- c) क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके तारीख और समय की टिकटों के साथ क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें लें।
- d) क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरे बीमित क्षेत्र और क्षेत्र के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें।
- e) हानि के समय और तिथि और स्थान पर प्रभावित अनुमानित क्षेत्र के साथ क्षति/हानि का पूरा विवरण दें।
- f) हानि के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी भी अन्य बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी दें।
- g) क्षेमा द्वारा नुकसान सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की रक्षा करें और साथ ही फसल के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाएँ।
- h) फसल के कारण, नुकसान और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज/जानकारी प्रदान करें और कंपनी द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी प्रदान करें।
- i) किसी भी बीमा दावे के मामले में, सात दिनों की अवधि के लिए नुकसान की तारीख से शुरू होने वाले हर वैकल्पिक दिन दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप जमा किए जाएंगे।
- j) हानि की तिथि पर बीमायोग्य ब्याज का प्रमाण स्थापित करने वाला दस्तावेज़।

## खंड vi: नियम और शर्तें:

- a) निर्विवादता और प्रकटीकरण का कर्तव्य: यह नीति अमान्य हो जाएगी और इसके तहत कोई भी लाभ किसी भी असत्य या गलत बयान, गलत प्रतिनिधित्व, गलत जानकारी की स्थिति में देय नहीं होगा।
- b) फसल बेमेल: पॉलिसी शुरू से ही अमान्य हो जाती है, और यदि आपके द्वारा बीमा के समय बीमा के लिए घोषित फसल और बीमित राशि पर वास्तविक फसल का भुगतान किया जाता है तो कोई नुकसान/क्षति देय नहीं होगी।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

- c) प्रथाओं का फसल पैकेज: बीमित व्यक्ति फसल से संबंधित प्रथाओं के सभी पैकेज का पालन करेगा और सिंचाई, निराई, पौधे संरक्षण आदि जैसी सभी गतिविधियों को समय पर करेगा।
- d) अतिरिक्त राशि: आपको इस नीति के तहत किए गए प्रत्येक दावे के लिए Rs.500-या दावा मूल्यांकन राशि का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, वहन करना होगा।
- e) पेरिल पॉलिसी नामक: यह पॉलिसी केवल उन खतरों के लिए कवरेज प्रदान करती है जो विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं या स्पष्ट रूप से पॉलिसी अनुसूची में शामिल किए गए हैं।
- f) योगदान खंड: यदि एक ही कृषि भूमि में एक ही फसल का एक से अधिक बीमा पॉलिसियों के तहत बीमा किया जाता है और यदि उक्त कृषि भूमि पर नुकसान होता है और नुकसान गुणक के तहत कवर किया जाता है।
- g) बुवाई की तारीख: यदि बुवाई की तारीख उद्घरण तिथि से 15 दिन पहले पाई जाती है, तो पॉलिसी को अमान्य माना जाएगा और कोई भी दावा देय नहीं होगा।
- h) फसल में बदलाव: फसल में एक बार बदलाव की अनुमति बीमा प्रस्ताव के समय घोषित की गई फसल से दी जाएगी, बशर्ते कि बुवाई के 5 दिनों के भीतर बदलाव की सूचना दी जाए।
- i) बुवाई की तारीख में बदलाव: बुवाई की तारीख में एक बार बदलाव की अनुमति है जो बुवाई के 5 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित किए जाने के अधीन प्रीमियम भुगतान की तारीख से पहले नहीं है।
- j) 7 दिनों का खंड: नुकसान होने की घटना की शुरुआत से शुरू होने वाले लगातार 7 दिनों की अवधि के दौरान उसी प्रभावित बहुभुज में नामित खतरों से बीमित फसल को कोई नुकसान या क्षति।
- k) अनिवार्य दस्तावेज़: बीमा दावे के समय, अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के साथ अनिवार्य फसल हानि/क्षतिग्रस्त फोटो 2 दिनों के सख्त अंतराल पर जमा किए जाएंगे।
- l) उचित देखभाल: आप किसी दावे को जन्म देने वाले नुकसान या क्षति से बीमित फसल के हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे।
- m) नियमों और शर्तों का पालन: इस नीति के नियमों, शर्तों और समर्थन का उचित पालन और पूर्ति जहां तक वे आपके द्वारा किए जाने या पालन किए जाने वाले किसी भी काम से संबंधित हैं।
- n) इस नीति के नियमों और शर्तों का पालन न करने से यह नीति अमान्य हो जाएगी।
- o) कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन इस नीति में प्रवेश किया गया है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।
- p) प्रतीक्षा अवधि:
  - a. इस पॉलिसी की प्रतीक्षा अवधि फसल की अवधि के 15 प्रतिशत दिनों से कम है जैसा कि आपने प्रस्ताव में घोषित किया है या स्थापना की तारीख से या बुवाई की बदली हुई तारीख/फसल से पहले 21 दिनों की है।
  - b. यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र की बीमित राशि को शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त माना जाएगा।
- q) फसल प्रबंधन खंड: अनुचित फसल प्रबंधन प्रथाओं की स्थिति में जैसे कि समय पर और पर्याप्त निराई करने में विफलता, सिंचाई, कीट या रोग या पोषण की कमी या अत्यधिक

नो क्लेम डिस्काउंट (एन. सी. डी.):

1. कंपनी आपकी पिछली पॉलिसी पर कोई दावा नहीं होने पर प्रीमियम के 2.5% के स्लैब में छूट की अनुमति देगी।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

2. बीमित व्यक्ति नो क्लेम डिस्काउंट के लिए पात्र होगा, भले ही बीमित व्यक्ति पहले एक सीजन के लिए बीमित कृषि बहुभुज के लिए बीमा खरीदना छोड़ दे। हालाँकि, यदि कृषि बहुभुज का दो के लिए बीमा नहीं किया गया है।
3. एन. सी. डी. नीति के अनुसार लागू होगी।
4. यदि किसान बीमित क्षेत्र को बढ़ाता है तो एन. सी. डी. पिछले फसल मौसम में बीमित क्षेत्र की सीमा को लागू करेगा जिसमें किसान ने छूट अर्जित की थी।
5. छूट केवल तभी लागू होगी जब उसी कृषि बहुभुज का बीमा उसी किसान द्वारा किया जा रहा हो।
6. अधिकतम छूट शुद्ध प्रीमियम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
7. यदि पॉलिसी पर किसी दावे की सूचना दी जाती है, तो अर्जित एन. सी. डी. शून्य हो जाता है।

## r) वफादारी बोनस:

- a) कंपनी लॉयल्टी बोनस के रूप में ग्राहकों को प्रीमियम छूट देती है, बशर्ते कि किसान पिछले सीजन में उसी हद तक या उससे अधिक भूमि का बीमा करता हो।
- b) चालू बीमा में शुद्ध प्रीमियम पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- c) किसान छूट के लिए पात्र होगा, भले ही किसान अगले फसल के मौसम में अपने खेत का बीमा न करे, लेकिन लगातार दो फसल के मौसम से अधिक के लिए नहीं।
- d) यदि किसान बीमित खेत की सीमा को कम करता है तो छूट आनुपातिक रूप से कम की जाएगी।

## धारा VII: हानि या क्षति होने पर कंपनी के अधिकार

हानि या क्षति होने पर, या ऐसी परिस्थिति जिसने इस नीति के तहत दावे को जन्म दिया है, हम कर सकते हैं:

- a) कंपनी के विवेक पर हम क्षतिग्रस्त बीमित फसल में प्रवेश कर सकते हैं और/या उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं।
- b) कंपनी, अपने दम पर, दावे की राशि से क्षतिग्रस्त फसल के उचित मूल्य की कटौती कर सकती है और क्षतिग्रस्त फसल का कब्जा लेना छोड़ सकती है।
- c) इस शर्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग हम किसी भी समय तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपके द्वारा लिखित सूचना नहीं दी जाती है कि आप इस नीति के तहत कोई दावा नहीं करते हैं, या यदि कोई दावा किया जाता है जब तक कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
- d) यदि आपको या आपकी ओर से किसी व्यक्ति को नीति के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करते हुए देखा जाएगा या यहाँ कोई निरीक्षण करते समय हमें या हमारे प्रतिनिधियों को बाधित या बाधित करेगा, तो सभी

## धारा VIII: हानि मूल्यांकन और गणना

- a) दावे का पता लगाने और नुकसान का आकलन केवल रिमोट सेंसिंग उपग्रह छवि/चित्रों और/या वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा, जो इन-हाउस विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षमा एप्लिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- b) कवरेज के तहत उल्लिखित खतरों को केवल तभी पहचाना जाएगा जब संबंधित सरकार/मौसम विज्ञान/भूवैज्ञानिक/आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा घोषित या पुष्टि की जाएगी, या

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

- c) कोई अन्य विश्वसनीय स्थानीय अभिलेख या साक्ष्य।
- d) हानि क्षतिपूर्ति की गणना नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर की जाएगी।

हानि = (बीमित राशि x फसल के चरण के आधार पर संबंधित क्षतिपूर्ति प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत)-दावा अतिरिक्त

फसल के चरण के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रतिशत:

क्षतिपूर्ति प्रतिशत फसल की कुल अवधि के नुकसान की घटना के समय फसल के चरण का प्रतिशत होगा।

नोट: यदि नुकसान के समय फसल चरण प्रतीक्षा अवधि के भीतर आता है, तो कोई बीमा दावा देय नहीं होगा।

पशु आक्रमण खंड:

जंगली सूअर या हाथी द्वारा छापे/चराई के कारण होने वाले नुकसान या क्षति का कवरेज, बीमित पॉलिसी राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत के लिए, जो बीमित समग्र पॉलिसी राशि का हिस्सा है।

घटना और नुकसान की पुष्टि स्थानीय मीडिया में मीडिया रिपोर्ट/कवरेज या कृषि/वन/राजस्व विभाग की रिपोर्ट से की जानी चाहिए। हम नुकसान की अन्य रिपोर्टों पर भी विचार कर सकते हैं।

मुआवजे का भुगतान ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

धारा IX: दावे के बाद पॉलिसी की स्थिति:

हानि होने पर, हानि के तहत प्रभावित क्षेत्र की सीमा तक आनुपातिक बीमित राशि, बीमित कृषि क्षेत्र की कुल बीमित राशि से पॉलिसी अवधि की समाप्ति या भुगतान तक कम हो जाती है।

धारा X: घोषणा

- a) यदि आप बीमा के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में कोई गलत/गलत घोषणा/जानकारी देते हैं, तो इस पॉलिसी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के प्रति कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।
- b) कंपनी आगे समझती है कि आपने कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध नीति के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और अपना संकेत लगाने से पहले सामग्री के निहितार्थ को समझ लिया है।
- c) आप आगे यह वचन देते हैं कि आपके द्वारा हस्ताक्षरित या पढ़ी गई घोषणा की जिम्मेदारी पॉलिसी में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी, यदि कोई हो, और इस प्रकार कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होंगे,

धारा XI: धोखाधड़ी

यदि आप या आपकी ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करता है या जानबूझकर किसी भी स्तर पर किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या छुपाता है-चाहे वह प्रस्ताव के दौरान हो, जब नीति लागू हो, या इसके संबंध में हो।

- a. बीमा प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए यदि पॉलिसी जारी करने से पहले धोखाधड़ी या सामग्री की गलत प्रस्तुति पाई जाती है।
- b. यदि पॉलिसी जारी होने के बाद लेकिन कोई दावा होने से पहले धोखाधड़ी या सामग्री गलत तरीके से प्रस्तुत करने का पता चलता है, तो शुरुआत से ही पॉलिसी को रद्द करने और भुगतान किए गए सभी प्रीमियम को जब्त करने के लिए, और हमारे पास कोई देयता नहीं होगी।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

c. किसी भी दावे को अस्वीकार करने के लिए, सभी लाभों को जब्त करने के लिए, और सभी प्रीमियम को पूरी तरह से अर्जित माना जाता है, यदि दावा प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद धोखाधड़ी या सामग्री गलत निरूपण पाया जाता है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "धोखाधड़ी" में, अन्य बातों के अलावा, आपके या आपके प्रतिनिधियों द्वारा बीमाकर्ता को पॉलिसी जारी करने या दावे का भुगतान करने के लिए धोखा देने या प्रेरित करने के इरादे से निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

1. किसी भी तथ्य को सच के रूप में प्रस्तुत करना जिसे गलत माना जाता है।
2. सक्रिय रूप से किसी भौतिक तथ्य को छिपाना या दबाना।
3. गुमराह करने या धोखा देने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य या चूक।
4. लागू कानून द्वारा धोखाधड़ी घोषित कोई भी कार्य या चूक।
5. इस खंड के तहत सभी उपचार कानून के तहत उपलब्ध उपचारों के अतिरिक्त हैं।

धारा XII: रद्द करना:

a) आपके द्वारा किसी भी समय रद्द करना

आप हमें लिखित रूप में या क्षेमा आवेदन के माध्यम से किसी भी समय इस नीति को रद्द कर सकते हैं। आपके नोटिस के समय से नीति को समाप्त कर दिया जाएगा।

b) हमारे द्वारा रद्द करना

हम 7 कार्य दिवसों की पूर्व सूचना के साथ धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को रद्द नहीं करेंगे।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, अनुपलब्ध अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस किया जाएगा बशर्ते पॉलिसी के तहत कोई दावा नहीं किया गया हो।

धारा XIII: नीतिगत विवाद

आपके और हमारे बीच यह सहमति हुई है कि यहाँ निहित नियमों, शर्तों, सीमाओं और/या बहिष्करणों की व्याख्या से संबंधित किसी भी विवाद को समझा जाता है और निर्णय लेने के लिए सहमत किया जाता है।

1. पूरा अनुबंध

इस पॉलिसी में बीमा का पूर्ण अनुबंध शामिल है। इस पॉलिसी में कोई भी बदलाव या परिवर्तन तब तक वैध या प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कंपनी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित नहीं किया जाता है।

2. गंभीरता

यदि इस नीति के किसी भी खंड, प्रावधान या हिस्से को उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अमान्य या अमान्य माना जाता है, तो इस नीति का शेष हिस्सा बना रहेगा और पूर्ण बल और प्रभाव से जारी रहेगा।

3. यदि आप नोटिस देना चाहते हैं

इस नीति के तहत दी गई कोई भी सूचना, निर्देश या निर्देश लिखित रूप में होगा और बीमित व्यक्ति के मामले में हाथ, डाक, ईमेल, यदि कोई हो, द्वारा बीमित व्यक्ति के भाग। में निर्दिष्ट पते और ई-मेल पर दिया जाएगा।

## Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

कंपनी के मामले में: के. एस. एच. ई. एम. ए. जनरल इश्योरेंस लिमिटेड, विनियमित. कार्यालय: 413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत-500016. ई-मेल customer.support@kshema.co।

नोटिस और निर्देशों को पोस्ट करने के 7 दिन बाद या हैंड डिलीवरी या ई-मेल के मामले में रसीद के तुरंत बाद दिया गया माना जाएगा।

## 4. यदि किसी भी समय आपको किसी स्पष्टीकरण या सहायता की आवश्यकता है

आप सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान पॉलिसी पर निर्दिष्ट पते पर हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

## धारा XIV: शिकायत निवारण खंड:

यदि आपको नीति, या किसी भी मामले पर हमारे निर्णय, या दावे से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई प्रश्न या शिकायत है, तो आप अपनी शिकायत को निम्नानुसार संबोधित कर सकते हैं:

1. किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए, आप हमें क्षेमा जनरल इश्योरेंस लिमिटेड, रेग. कार्यालय: #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदर में लिख कर पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
2. यदि आप दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे ई-मेल grievance.cell@kshema.co या gro@kshema.co पर जा सकते हैं या हमें 1800 570 2998 (टोल-फ्री) पर कॉल कर सकते हैं या हमें शिकायत पर लिख सकते हैं।
3. यदि आप हमारे द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास <https://www.cioins.co.in> पर शिकायत निवारण के लिए बीमा लोकपाल से संपर्क करने का विकल्प है।

लोकपाल का विवरण नीचे दिया गया है।

एस. नं.	स्थान	लोकपाल का नाम	पदनाम	बीमा लोकपाल का कार्यालय,	अधिकारिता	फोन नं.	ईमेल करें।
1.	अहमदा बाद	श्री के. विनायक राव	बीमा लोकपाल	जीवन प्रकाश बिल्डिंग, छठी मंजिल, तिलक मार्ग, रिलीफ रोड, अहमदाबाद-380,001।	गुजरात, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव।	079-2550120 1/02	oio.ahmedabad@cioins.co.in
2.	बेंगलुरु	सुश्री नीरजा कपूर	बीमा लोकपाल	जीवन सौधा भवन, पी. आई. डी. सं. 57-27-एन-19 ग्राउंड फ्लोर, 19/19, 24 वीं मेन रोड, जे. पी. नगर, प्रथम चरण, बेंगलुरु-560 078।	कर्नाटक	080-2665204 8/26652049	oio.bengaluru@cioins.co.in

3.	भोपाल	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	पहली मंजिल, "जीवन शिखा", 60-बी, होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के सामने, अरेरा हिल्स भोपाल-462 011।	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।	0755- 2769201/ 2769202/ 2769203	oio.bh opal@ cioins. co.in
4.	भुवनेश्वर	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	62, वन उद्यान, भुवनेश्वर-751,009।	ओडिशा	0674- 2596461/ 2596455/ 2596429/ 2596003	oio.bh ubane swar@ cioins. co.in
5.	चंडीगढ़	सुश्री अलका झा	बीमा लोकपाल	जीवन डीप बिल्डिंग एससीओ 20-27, ग्राउंड फ्लोर सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़-160,017।	पंजाब, हरियाणा (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़।	0172- 2706468	oio.ch andiga rh@ci oins.c o.in
6.	चेन्नई	श्री. K.Vinaya k राव	बीमा लोकपाल	फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंजिल, 453, अन्ना सलाई, तेयनमपेट, चेन्नई- 600 018।	तमिलनाडु, पुडुचेरी टाउन और कराईकल (जो पुडुचेरी का हिस्सा हैं)।	044- 2433366 8/243336 78	oio.ch ennai @cioin s.co.in
7.	दिल्ली	सुश्री सुनीता शर्मा	बीमा लोकपाल	2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002।	दिल्ली और हरियाणा के निम्नलिखित जिले- गुरुग्राम, फरीदाबाद,	011- 4601399 2/232135 04/23232 481	oio.del hi@cio ins.co. in

					सोनीपत और बहादुरगढ़।		
8.	गुवाहाटी	श्री. अजय कुमार शर्मा	बीमा लोकपाल	जीवन निवेश, 5वीं मंजिल, एन. आर. पानबाजार ओवर ब्रिज, एस. एस. रोड, गुवाहाटी- 781001 (ए. एस. एस. ए. एम.)।	असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा।	0361- 2632204/ 2602205/ 2631307	oio.gu wahati @cioin s.co.in
9.	हैदराबाद	सुश्री जी शोभा रेड्डी	बीमा लोकपाल	6-2-46, पहली मंजिल, "मोडर्न कोर्ट", लेन के सामने. सलीम फंक्शन पैलेस, ए. सी. गार्ड्स, लकड़ी-का-पूल, हैदराबाद-500 004।	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का हिस्सा।	040- 2331212 2/233769 91/23376 599/2332 8709/233 25325	oio.hy deraba d@cioi ns.co.i n
10.	जयपुर	श्री सत्यजीत राजन	बीमा लोकपाल	जीवन निधि-॥ बी. एल. डी. जी., जी. आर. फ्लोर, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-303005।	राजस्थान	0441- 2740363	oio.jai pur@c ioins.c o.in
11.	कोच्चि	श्री प्रदीप कुमार जैन	बीमा लोकपाल	10वीं मंजिल, जीवन प्रकाश, एल. आई. सी. भवन, महाराजा कॉलेज ग्राउंड के सामने, M.G.Road, कोच्चि-682 011।	केरल, लक्षद्वीप, माहे-केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक हिस्सा।	0484- 2358759	oio.ern akula m@cio ins.co. in
12.	कोलका ता	श्री अजय कुमार	बीमा लोकपाल	हिन्दुस्तान बी. एल. डी. जी. एनेक्सी, चौथी मंजिल, 4, सी. आर. एवेन्यू, कोलकाता-700 072।	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।	033- 2212433 9/221243 41	oio.kol kata@ cioins. co.in
13.	लखनऊ	श्री अजय कुमार शर्मा	बीमा लोकपाल	छठी मंजिल, जीवन भवन, फेज-॥, नवल	उत्तर प्रदेश के जिले: ललितपुर,	0522- 4002082/ 3500613	oio.luc know

				किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ-226001।	झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाज़ीपुर, जालौन, कानपुर, लखनऊ, उन्नाओ, सीतापुर।		@cioin s.co.in
14.	मुंबई	सुश्री सरोजिनी एस. दिखले	बीमा लोकपाल	तीसरी मंजिल, जीवन सेवा एनेक्सी, एस. वी. रोड, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई-400 054।	मुंबई में वार्डों को छोड़कर महानगर क्षेत्र-यानी एम/ई, एम/डब्ल्यू, एन, एस और टी के अंतर्गत आते हैं बीमा लोकपाल का कार्यालय ठाणे और नवी मुंबई के क्षेत्र।	022- 6903880 0/27/29 31/32/33	oio.mu mbai @cioin s.co.in
15.	नोएडा	सुश्री अलका झा	बीमा लोकपाल	भगवान सहाय पैलेस, चौथी मंजिल, मेन रोड, नया बांस, सेक्टर 15, जिला: गौतम बुद्ध नगर, U.P-201301।	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले:	0120- 2514252/ 2514253	oio.noi da@ci oins.c o.in

					आगरा, अलीगढ़, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, या		
16.	पटना	सुश्री नीरजा कपूर	बीमा लोकपाल	दूसरी मंजिल, ललित भवन, बेली रोड, पटना 800001।	बिहार, झारखंड।	0612- 2547068	oio.pat na@ci oins.c o.in
17.	पुणे	श्री सुनील जैन	बीमा लोकपाल	जीवन दर्शन बी. एल. डी. जी., तीसरी मंजिल, सी. टी. एस. नं. 195 से 198, एन. सी. केलकर रोड, नारायण पेठ, पुणे-411 030।	नवी मुंबई, ठाणे जिला, पालघर जिला, रायगढ़ जिला और मुंबई महानगर क्षेत्र के क्षेत्रों को छोड़कर गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य	020- 2447117 5	oio.pu ne@ci oins.c o.in
18.	ठाणे	श्री उमेश सिन्हा	बीमा लोकपाल	दूसरी मंजिल, जीवन चिंतामणि भवन, वसंतराव नाइक महामार्ग, ठाणे (पश्चिम)-400604	नवी मुंबई, ठाणे जिला, रायगढ़ जिला, पालघर जिला और मुंबई के वार्ड, एम/पूर्व, एम/पश्चिम,	022- 2081286 8/69	oio.tha ne@ci oins.c o.in

Kshema Sukriti

UIN: IRDAN162RPCR0021V01202526

					एन, एस और टी का क्षेत्र।		
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

\* नोट: चूंकि उपरोक्त लोकपाल संपर्क विवरण समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए हम आपको एक अद्यतन सूची के लिए <https://www.cioins.co.in> का संदर्भ लेने का सुझाव देते हैं।

हमारे बारे में जानकारी

क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड

पता: #413, चौथी मंजिल, माई होम टाइकून, कुंदन बाग, बेगमपेट, हैदराबाद-500 016, तेलंगाना, भारत T: + 91 040 2340 9918 | E: [info@kshema.co](mailto:info@kshema.co) | [www.kshema.co](http://www.kshema.co) |

# kshema